भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन

(श्री आदिनाथ-कुन्दकुन्द-कहान दिगम्बर जैन ट्रस्ट, अलीगढ़ द्वारा सञ्चालित)

तीर्थधाम मङ्गलायतन, आगरामार्ग, निकट हनुमान चौकी, सासनी-204216 (हाथरस) उत्तरप्रदेश
मुख्य कार्यालय : विमलांचल, हरिनगर, अलीगढ़ - 202001 उत्तरप्रदेश
फोन : 9997996346, 9897069969, 9897890893, 9756633800
E-mail : info@mangalayatan.com website : www.mangalayatan.com

यहाँ वर्तमान का नाम एवं तिथि अंकित फोटो चिपकाएँ

आवेदन-पत्र

(कक्षा 08 में प्रवेश के लिए)

छात्र का आधार कार्ड नं० ....

(सूचना - आवेदक छात्र स्वयं अपनी लिपि में यह आवेदन-पत्र भरे।)

1. छात्र का नाम.. जन्मतिथि......................................
2. पिता का नाम... पिता की शिक्षा...
3. माता का नाम.. माता की शिक्षा.......................... माता ग्रहिणी/सर्विस...............
4. घर का स्थायी पता...
   ....
   पिन कोड [| | | | | |] फोन नं., कोडसहित मोबा. [| | | | | | | | | | |]
   ई-मेल (अनिवार्य) ....
5. पत्र व्यवहार का पता..
   ....
   पिन कोड [| | | | | |] मोबाइल नम्बर [| | | | | | | | | | |]
   ई-मेल (अनिवार्य) ....
6. पिता/संरक्षक का व्यवसाय.. मासिक आय **(आय प्रमाण संलग्न करें)** ....
7. परिवार के सदस्यों का विवरण...
8. मातृभाषा.. क्या कोई अन्य भाषा जानते हैं?.......................................
9. अध्ययनरत विद्यालय का नाम...
10. सम्बन्धित बोर्ड का नाम...
11. एक साल पूर्व उत्तीर्ण कक्षा का विवरण..माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी/अन्य)...............................
    कुल प्रतिशत.. **(अंक सूची की फोटोकॉपी साथ में संलग्न करें।)**
12. वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत परीक्षा का परिणाम (यदि हो तो)..
13. धार्मिक परीक्षा के विषय..पाठशाला का नाम (यदि छात्र अध्ययन करता है तो)......................
14 कोई बीमारी हो तो उसका विवरण **(MBBS डॉक्टर का स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक)** ....
    (बीमारी को छिपाए नहीं क्योंकि भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन के होनेपर छात्र अस्वस्थ हो सकता है और दवा आदि यथासमय उपलब्ध न होने पर शारीरिक क्षति की संभावना बढ़ जाती है।)
15. किन-किन वस्तुओं का त्याग है :..
16. छात्र की विशेष रुचि किन कार्यों एवं खेलकूद में है :..
17. वजन.. 18. लम्बाई.......................... **19. माता-पिता के साथ छात्र का फोटो (3 प्रति)**

20. छात्र की वर्तमान फोटो (4 प्रति) फोटो पर नाम एवं फोटो खिंचाने की तिथि अंकित होनी चाहिए।

दिनाँक................................... हस्ताक्षर छात्र

नोट- (1) कक्षा 7वीं में अध्ययनरत छात्र ही फार्म भर सकता है। (2) अपनी प्रवेश राशि (रुपये 750.00) का ड्राफ्ट श्री आदिनाथ-कुन्दकुन्द-कहान दिगम्बर जैन ट्रस्ट, अलीगढ़ के नाम से बनवाकर संलग्न करें। (3) 60 प्रतिशत से कम अंकवाले छात्र प्रवेश फार्म नहीं करें। (4) पिता/संरक्षक आय से सम्बन्धित विवरणा यथार्थ भरें। उपरिलिखित जानकारियों के अभाव में फार्म अपूर्ण समझकर निरस्त कर दिया जाएगा। (5) विद्यालय को विशेष परिस्थिति में साक्षात्कार तिथि बदलने का अधिकार है।

NAME : SHRI ADINATH KUNDKUND KAHAN DIGAMBER JAIN TRUST, ALIGARH
BANK NAME : PUNJAB NATIONAL BANK
BRANCH : RAILWAY ROAD, ALIGARH
A/C. NO. : 1825000100065332
RTGS/NEFTS IFS CODE : PUNB0001000

भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन के दिशा-निर्देश

छात्र एवं अभिभावकों से निवेदन है कि वे निम्न दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें तथा मन-वचन-काय से स्वीकृति होने पर ही आवेदन करें।

प्रवेश-प्रक्रिया

1. विद्यानिकेतन का सत्रारम्भ प्रतिवर्ष अप्रैल माह से होगा। अत: प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र में अनिवार्य/आवश्यक सामग्री/फोटो को अवश्य संलग्न करें।
2. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय छात्र को निश्चित तिथि को बुलाया जायेगा, जिसकी सूचना छात्र/अभिभावक को भेजी जायेगी; उस निर्दिष्ट तिथि को छात्र के साथ अभिभावक को तीर्थधाम मङ्गलायतन में आना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेश-प्रक्रिया में आपके परीक्षा-फल, प्रतिभा-सम्पन्नता, आध्यात्मिक रुचि आदि सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा।
4. साक्षात्कार शिविर में आनेवाले छात्रों/अभिभावकों को मार्ग-व्यय नहीं दिया जायेगा।
5. प्रवेश की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना सम्बन्धित छात्र/अभिभावक को पत्र के माध्यम से भेज दी जायेगी; लेकिन स्वीकृति/अस्वीकृति का कारण बताने को संस्था बाध्य नहीं है।
6. विद्यानिकेतन में मात्र धार्मिक शिक्षा, भोजन एवं आवास व्यवस्था ही नि:शुल्क है। लौकिक शिक्षा हेतु फीस, स्टेशनरी, मार्गव्यय, ट्यूशन आदि की व्यवस्था अभिभावक को करना होगा।
7. लौकिक शिक्षा हेतु स्थानीय शिक्षा संस्थानों की लिखित स्वीकृति मिलने पर ही विद्यानिकेतन में प्रवेश अन्तिम एवं पूर्ण माना जायेगा।

आवश्यक-नियम

1. छात्र को लौकिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ विद्यानिकेतन द्वारा निर्धारित नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. छात्र को लौकिक शिक्षा हेतु चयनित अन्य स्थानीय शिक्षा संस्थानों के दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करना होगा, उसमें हमारी संस्था का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा।
3. विद्यानिकेतन में सञ्चालित धार्मिक कक्षाओं की वार्षिक / अर्द्धवार्षिक / मासिक / सामयिक परीक्षाएँ ली जायेंगी। जो छात्र इनमें असफल होंगे, उन्हें आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. छात्र को लौकिक शिक्षा के अलावा अन्य लौकिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर कोर्स आदि करने हेतु अधीक्षक एवं निदेशक की लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
5. **छात्र की लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में अथवा अन्य प्रसंगों पर आनेवाली कानूनी अड़चनों को दूर करने की जिम्मेदारी छात्र तथा उसके अभिभावक की होगी।**
6. अध्ययन में असमर्थ होने पर, बारम्बार अस्वस्थ होने पर अथवा विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करने पर छात्र को विद्यानिकेतन से निष्कासित भी किया जा सकता है, इसकी सूचना अभिभावकों को दे दी जायेगी।
7. छात्र को विद्यानिकेतन में अभक्ष्य भक्षण, बिना छना जलपान, रात्रि-भोजन एवं सप्त व्यसनों का त्याग करना और सामान्य अष्ट मूलगुणों को धारण करना आवश्यक है। छात्र को सम्पूर्ण शिक्षाकाल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना होगा।
8. छात्र को अधीक्षक के निर्देशन में सभी प्रकार के कार्य अपने हाथों से करने होंगे, जिससे वह प्रत्येक कार्य करने में कुशलता प्राप्त कर सके।
9. विद्यानिकेतन में छात्र को निर्धारित दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है।
10. छात्र को अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना होगा। स्वेच्छा से स्थान-परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
11. छात्र स्वयं अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखेंगे तथा स्नान-गृह, गैलरी आदि में भी स्वच्छता बनाये रखेंगे। तथा यदि इन स्थानों पर किसी भी समान की क्षति होती है, तो उसका दण्ड छात्र को दिया जाएगा।
12. छात्र को अपने पास तथा अपने कमरे में रखनेवाले समान की सूची अधीक्षक महोदय को देनी होगी।
13. कोई भी छात्र नकदी या अन्य जोखिम अपने पास नियमानुसार ही रखेगा, अन्यथा खो जाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। छात्र को नकदी आदि जोखिम, कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए।
14. छात्र को अपने कमरे में ट्यूबलाइट व पंखे के अलावा बिजली का हीटर, सिगड़ी, रेडियो, टेप, वाकमैन, कैमरा, वीडियो-गेम, मोबाइल, कार्डरीडर, पेनड्राइव, ईअरफोन आदि का उपयोग करना निषिद्ध है। तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

15. सत्र के बीच में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता है। विद्यानिकेतन द्वारा अप्रैल से मार्च के सत्र में 30 दिन का अवकाश दिया जायेगा। 20 दिन का अवकाश ग्रीष्मकाल में एवं 10 दिन अवकाश शीतकाल में दिया जायेगा। परिवार के खास सदस्यों में से किसी का विवाह या मृत्यु हो जाने पर आने-जाने के अतिरिक्त3 दिन का अवकाश नियमानुसार स्वीकृत है। अवकाश में विलम्ब से आने, तीर्थयात्रा, विवाह आदि में अतिरिक्त अवकाश लेने पर ग्रीष्मकाल-शीतलकाल में से वह अवकाश काटे जायेंगे।
16. छात्र को घर या अन्यत्र बाहर जाने हेतु अधीक्षक की एवं विद्यालय की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। यदि कोई छात्र बिना सूचना दिये विद्यानिकेतन से बाहर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी; उसके लिए स्वयं छात्र एवं उसके अभिभावक जिम्मेदार माने जायेंगे तथा यह एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
17. अभिभावक बार-बार टेलीफोन करके छात्र से बात न करें। फोन पर अधिक समय तक बात न करें। यदि कोई विशेष समाचार हो तो अभिभावक कार्यालय में अधीक्षक अथवा निदेशक को सूचित करें। प्रत्येक छात्र को सप्ताह में एक दिन निर्धारित दिवस पर 10 मिनट हेतु फोन पर बात करने का अवसर दिया जायेगा।
18. अभिभावक को वर्ष में दो बार सूचनानुसार विद्यानिकेतन आना जरूरी है।
19. कुशाग्र-बुद्धि वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों के अध्यापन कार्य से नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें सहयोग करना प्रत्येक वरिष्ठ छात्र का कर्तव्य होगा।
20. छात्र को शिविर या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु भेजा जा सकता है, जिसका सहयोग करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा। उच्च कक्षाओं को धार्मिक अध्यापन-शिविर आदि हेतु संस्था द्वारा भेजा जायेगा। यह 10 दिवसीय अवकाश अवकाश के अतिरिक्त होगा।
21. विद्यानिकेतन में रहनेवाले छात्रों की वेशभूषा सामान्य कुर्ता-पायजामा (रंग-डिजायन रहित) निर्धारित है; अत: छात्र को स्कूल / कॉलेज के अलावा उक्त वेश में ही रहना अनिवार्य है।
22. बीमार छात्र का प्रवेश निषिद्ध हैं, अगर कोई अपनी बीमारी छिपाता हैं तो उसे बीच सत्र में वापिस घर भेज दिया जावेगा।
23. छात्र को किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ (नाश्ता) रखना निषिद्ध है।
24. छात्र को अवकाश लेते समय अभिभावक को स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा बुलाने पर लिखित स्वीकृति पत्र देना अनिवार्य है। अन्यथा छात्र को अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।
25. छात्र को अवकाश हेतु घर से निर्धारित तिथि तक विद्यानिकेतन पहुँचना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र को निर्धारित दण्ड दिया जाएगा।
26. छात्र को घर से कमरे में आने पर / जाने पर कक्ष सामग्री फार्म भरना होगा। छात्रों को अपने कमरे में किसी भी प्रकार की गन्दगी एवं सामान की क्षति होने पर कमरे के सभी छात्रों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
27. छात्र को वरिष्ठ छात्रों के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करना होगा।
28. विद्यानिकेतन एवं ट्रस्ट द्वारा छात्रों को यथासंभव सुविधा साधन ही उपलब्ध कराये जायेंगे, अभिभावक अधिक सुविधायें और साधनों की अपेक्षा नहीं करेंगे।
29. छात्र का विद्यानिकेतन में प्रवेश पाने पर गद्दा, रजाई 2 प्लेन बेडसीट तकिया (कवरसहित) बाल्टी, मग, शीशा आदि दैनिक उपयोग की सामग्री स्वयं लानी होगी।
30. **विद्यानिकेतन के पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को छात्र द्वारा लौकिक शिक्षा के ग्रहण पारिवारिक कारण या छात्र के नियम उल्लंघन किए जाने पर स्वयं विद्यानिकेतन को छोड़ने या विद्यानिकेतन द्वारा निष्कासित किए जाने पर दण्ड स्वरूप निर्धारित शुल्क को अभिभावक को जमा कराना अनिवार्य होगा।**

छात्र द्वारा शपथ पत्र

भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन में प्रवेश हेतु मैं.. वह शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी सही है। मैंने विद्यानिकेतन एवं लौकिक विद्यालय के दिशा-निर्देशों को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं इन नियमों का तथा समय-समय पर संशोधित, संवर्द्धित व परिवर्तित नियमों तथा अन्य सूचनाओं का अवश्य पालन करूँगा। यदि मैं विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करूँ या संस्था के हित में बाधक समझा जाऊँ या धार्मिक / लौकिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहूँ तो मुझे संस्था द्वारा जो भी दण्ड दिया जायेगा, वह स्वीकार्य होगा। कृपया मुझे विद्यानिकेतन में प्रवेश देकर अनुगृहीत करें।

दिनांक....................................

स्थान.....................................

हस्ताक्षर छात्र

पिता/संरक्षक का स्वीकृति-पत्र

1. यह छात्र लौकिक रिश्ते में मेरा..............................है।
2. मैंने भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन के सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। मुझे विद्यानिकेतन के सम्पूर्ण नियम स्वीकार हैं। मैं स्वेच्छा से इस छात्र को आपके यहाँ प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र ने आवेदन-पत्र स्वयं भरा है तथा छात्र द्वारा दी गयी सम्पूर्ण जानकारी सही है। मैं अपनी ओर से संस्था को आश्वस्त करता हूँ कि यह छात्र (नाम). ....आपकी संस्था के वर्तमान नियमों तथा समय-समय पर परिवर्तित नियमों, सूचनाओं तथाा अनुशासन का अवश्य पालन करेगा। यदि वह कोई नियम-विरुद्ध कार्य करता है तो अधिकारियों द्वारा दिया गया दण्ड उसे मान्य होगा। छात्र की उचित-अनुचित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मैं/हम पूर्णत: जिम्मेदार हैं/हूँ।

छात्र के स्थायीपते पर रहनेवाले अभिभावक का

नाम..

पता..

....

मोबाइल..

ई-मेल...

हस्ताक्षर

अलीगढ़/अलीगढ़ के समीप में रहनेवाले अभिभावक का (अगर हो तो)

नाम..

पता..

....

मोबाइल..

ई-मेल...

हस्ताक्षर

छात्र के सम्बन्ध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि छात्र और उसके पिता/संरक्षक ने जो ऊपर लिखा है, वह सही है। यह छात्र भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन में प्रविष्ट होने योग्य है।

1- नाम..

पता..

फोन/मोबा. :..

ई-मेल...

हस्ताक्षर/मुहर

2- नाम..

पता..

फोन/मोबा. :..

ई-मेल...

हस्ताक्षर/मुहर

नोट - आपके नगर के दो मुमुक्षुओं के (प्रमुख) हस्ताक्षर एवं मुहर।

कार्यालय के उपयोग हेतु

उक्त छात्र (नाम) .... का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा उसको भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन की .... कक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

हस्ताक्षर अधीक्षक

दिनांक...................

हस्ताक्षर निदेशक

दिनांक...................

भगवान श्री आदिनाथ विद्यानिकेतन

तीर्थधाम मङ्गलायतन

अलीगढ़-आगरा मार्ग, सासनी-204216 (हाथरस) उत्तरप्रदेश